संख्या सा-3—1612/दस-918/87

प्रेषक,

श्री भोला नाथ तिवारी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ: दिनांक 27 जून, 1990

विषय :—न्यूनतम पेंशन/पारिवारिक पेंशन का निर्धारण ।

महोदय,

वित्त (सामान्य) अनुभाग—3

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम धनराशि निर्धारित करने का प्रस्ताव काफी समय से शासन के विचाराधीन रहा है । सम्यक विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय ने सहर्ष यह आदेश किये हैं कि दिनांक 1-4-90 से सरकारी सेवकों को देय पेंशन/पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम धनराशि 375 रु० निर्धारित कर दी जाय तथा पूर्व में सेवानिवृत्त ऐसे सरकारी पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों, जिनको दिनांक 31-3-90 को मिल रही समेकित पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि 375 रुपये (तीन सौ पचहत्तर रुपये) प्रतिमाह से कम थी उसमें दिनांक 1-4-90 से उतनी वृद्धि कर दी जाय कि न्यूनतम पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि 375 रुपये प्रति माह हो जाय ।

2—न्यूनतम पेंशन/पारिवारिक पेंशन के निर्धारण का लाभ ऐसे पेंशनरों को अनुमन्य होगा जो सिविल सर्विस रेग्युलेशन्स के अधीन अधिवर्षता, रिटायरिंग, अशक्तता अथवा कम्पेन्सेशन पेंशन प्राप्त कर रहे हैं तथा उन मामलों में भी अनुमन्य होगा जिनमें सिविल सर्विस (असाधारण पेंशन) नियमावली के अधीन पेंशन/पारिवारिक पेंशन मिल रही हैं । इस सुविधा का लाभ उन मामलों में भी अनुमन्य होगा जिनमें उत्तर प्रदेश लिबरलाइज्ड पेंशन रूल्स 1961, उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनीफिट रूल्स 1961 के अधीन स्वीकृत पेंशन/पारिवारिक पेंशन तथा नई पारिवारिक पेंशन योजना 1965 के अधीन स्वीकृत की गयी हैं ।

3—समस्त कोषागारों/बैंकों तथा पेंशन/पारिवारिक पेंशन को भुगतान करने वाले प्राधिकारियों को यह निर्देश दिया जाता है कि पेंशन भुगतानादेशों में वास्तविक रूप से बढ़ाई जा रही पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि का उल्लेख संहत रूप से तथा बढ़ाई गयी धनराशि को अलग से भी अंकित करने का कष्ट करें ।

4—पेंशन में उपरोक्त प्रकार से की गई वृद्धि की धनराशि का राशिकरण अनुमन्य नहीं होगा ।

5—दिनांक 1-4-90 से बढ़ी हुई उक्त धनराशि पर यथा अनुमन्य राहत का भी भुगतान किया जायेगा ।

भवदीय,
भोला नाथ तिवारी,
सचिव ।

संख्या सा-3—1612(1)/दस-918/87, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1—सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
2—सचिव, विधान सभा/विधान परिषद् उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
3—राज्यपाल सचिवालय ।
4—समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी ।

5—महालेखाकार, द्वितीय (लेखा एवं हकदारी) उ0 प्र0, इलाहाबाद ।

6—निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।

7—समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश शासन ।

8—निदेशक, पेंशन निदेशालय, लेखराज मार्केट, इन्द्रिरानगर, लखनऊ ।

9—मुख्य लेखाधिकारी पुलिस, सिंचाई, सार्वजनिक निर्माण, राजस्व, बिक्रीकर, वन, खाद्य तथा रसद, उद्योग, कृषि, ग्राम्य विकास, पशुपालन, शिक्षा, विभाग, इरलाचेक उत्तर प्रदेश सचिवालय, विधान सभा/विधान परिषद् सचिवालय विभाग ।

10—पेंशनर्स संघों को निर्धारित सूची के अनुसार ।

आज्ञा से,
गणेश दत्त दीक्षित,
उप सचिव ।

पी.एस.यू.पी.—ए.पी. 35 सा वित्त—5-7-90—(1212)—1990—10,000 (मैंग0)